क्रम-संख्या—201

रजि० नं० एल० डब्लू० एन० पी० 56

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 फरवरी, 1995

माघ 28, 1916 शक सम्वत्

## उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या /सत्रह-वि-1-1 (क)-1-1995

लखनऊ, 17 फरवरी, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 15 फरवरी, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1995)

[(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) यह 17 दिसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित यथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 31 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 में,--

(क) उपधारा (7) में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--
"परन्तु आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।";

(ख) उपधारा (8) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

"(कक) जहां खण्ड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य-परिषद् द्वारा विनिश्चय करने की विफलता कार्य परिषद् के किसी दोष के कारण न हो तो कुलाधिपति कार्य परिषद् से ऐसे समय के भीतर जैसा कुलाधिपति समय-समय पर अनुमति दें विनिश्चय करने की अपेक्षा कर सकता है और कुलपति को इस प्रयोजन के लिए कार्य परिषद् की बैठक बुलाने का निदेश दे सकता है :

परन्तु--

(एक) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत नहीं है तो कार्य परिषद् ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(दो) यदि कार्य परिषद् कुलाधिपति द्वारा अनुमत समय के भीतर विनिश्चय नहीं करती है तो कुलाधिपति मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।"

धारा 50 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्--

"(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अध्यापकों की अर्हताओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किए गये, किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये, कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है।

(7) कार्य परिषद् को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने या ऐसे परिनियमों से असंगत नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने की शक्ति नहीं होगी।"

निरसन और अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

No. (2)/XVII–V–1–1 (KA)-1-1995

*Dated Lucknow, February 17, 1995*

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 15, 1995.

# THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 1995

(U. P. Act No. 4 of 1995)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.*

It is hereby enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 17, 1994.

Amendment of section 31 of the President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U. P. Act no. 29 of 1974

2. In section 31 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (7), the following proviso shall be *inserted* at the end, hereby—

"Provided that in the case of a Professor or a Reader, the persons present to form the quorum must include atleast two experts.";

(*b*) in sub-section (8), *after* clause (*a*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*aa*) Where the failure of the Executive Council to take a decision within the period specified in the proviso to clause (*a*) is not attributable to any fault of the Executive Council, the Chancellor may require the Executive Council to take a decision within such time as the Chancellor may, from time to time, allow and may direct the Vice-Chancellor to call a meeting of the Executive Council for the purpose :

Provided that—

(*i*) if the Executive Council does not agree with the recommendations made by the Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor alongwith the reasons of such disagreement and his decision shall be final ;

(*ii*) if the Executive Council does not take a decision within the time allowed by the Chancellor, the Chancellor shall decide the matter and his decision shall be final."

Amendment of section 50

3. In section 50 of the principal Act, *after* sub-section (5), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Government may in order to implement any

decision taken by it on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grants Commission or the State or national education policy with regard to the qualifications of the teachers, require the Executive Council to make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A) within a specified time and if the Executive Council fails to comply with such requirement the State Goverment may make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A).

(7) The Executive Council shall have no power to amend or repeal the Statutes made by the State Government under sub-section (6) or to make new or additional Statutes inconsistent with such Statutes."

U. P. Ordinance no. 30 of 1994

Rep... saving...

4. (1) The Uttar Pradesh Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 1994 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

N. K. NARANG,

*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 282 सा० विधा०-(3629)-1995-850 (मेक०)